

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अरबिंद कुमार चौधरी

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2017 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं० 1947

में

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील सं० 1246

29 अक्टूबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह)

हेडनोट्स

याचिका- उस आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई, जिसके तहत रिट याचिका को अस्वीकृत कर दिया गया था।

निर्णय-

1. चयन प्राधिकारी (Selecting Authority) द्वारा चयन सूची तैयार करने में स्पष्ट त्रुटि की गई है, विशेष रूप से कट-ऑफ अंकों और सामाजिक आरक्षण के संदर्भ में। जिन उम्मीदवारों को सामाजिक आरक्षण कोटे के तहत चयनित किया गया है, वे सामान्य श्रेणी (General Category) के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी उन्हें सामाजिक आरक्षण के अंतर्गत समायोजित किया गया है। (पैरा 5)
2. CWJC संख्या 1947/2017 में पारित आदेश तर्कसंगत नहीं है। इस आदेश में मामले के तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सिविल कोर्ट में वाद दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि चयन और नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी हैं और चयन प्रक्रिया सिविल पदों के लिए थी। संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार, प्रतिवादी (Respondents) की स्थिति CWJC की स्वीकार्यता के लिए पर्याप्त है। अपील योग्य होने के कारण, निर्णय में संक्षेप में मामले के तथ्यों और मुद्दों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। (पैरा 7)

एलपीए (Letters Patent Appeal) स्वीकार की जाती है। (पैरा 8)

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री बनवारी शर्मा, अधिवक्ता; श्री संजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री एस.एस. तिवारी, ए. ए. जी. 15 के ए. सी.

उत्तरदाताओं के लिए : श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित मलिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2017 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं० 1947

में

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील सं० 1246

=====

अरबिंद कुमार चौधरी, पिता- हुलास चौधरी, निवासी गाँव- रायगढ़, पोस्ट- दोसुत, थाना-
 वारसलीगंज, जिला-नवादा।

.....अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य का कार्यालय नए सचिवालय, पटना में है।
2. जिला शिक्षक नियुक्ति अपीलीय प्राधिकरण नवादा, पीठासीन अधिकारी के माध्यम से।
3. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर नवादा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, नवादा।
5. जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, नवादा।
6. प्रखंड विकास अधिकारी, वारसलीगंज, नवादा।
7. ग्राम पंचायत सचिव, दोसूत पंचायत वारसलीगंज प्रखंड, जिला नवादा के अंतर्गत।
8. मुखिया, ग्राम पंचायत दोसुत, वारसलीगंज, नवादा।
9. संजय कुमार दास पिता- अर्जुन रवि दास, निवासी गाँव- बागी बरदीहा, थाना- वारसलीगंज, जिला नवादा।

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री बनवारी शर्मा, अधिवक्ता
		श्री संजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री एस.एस. तिवारी, ए. ए. जी. 15 के ए. सी.
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

तारीख: 29-10-2024

वर्तमान अपील में, अपीलार्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 06.08.2019 के आदेश का विरोध किया है। यह एक संक्षिप्त आदेश है, जो इस प्रकार है:

“तथ्य के गंभीर विवादित प्रश्न पर विचार करते हुए, न्यायालय याचिकाकर्ताओं को कोई छूट देने के लिए इच्छुक नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को उचित राहत के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र के दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता उपलब्ध होगी क्योंकि वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए विवाद पर केवल उचित रूप से गठित दीवानी मुकदमे में ही उचित निर्णय लिया जा सकता है।

उपरोक्त के साथ, रिट याचिका का निपटारा कर दिया जाता है।”

2. इस मामले को बार-बार सुना गया। दिनांक 26.09.2024 पर, समन्वय पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है:

“मामला पंचायत शिक्षक, ग्राम पंचायत दोसुत, वारसालीगंज, नवादा के पद पर चयन और नियुक्ति से संबंधित है। अपीलार्थी का दावा एससी रिक्रियों में से एक के खिलाफ है। यह पता लगाने के लिए कि अपीलकर्ता पंचायत शिक्षक के पद पर चयनित और नियुक्त होने के योग्य कैसे नहीं है, हमने राज्य अधिवक्ता से प्रत्येक श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंकों से संबंधित एक चार्ट तैयार करने का अनुरोध किया है, ताकि यह समझा जा सके कि अनुसूचित जाति और सामान्य श्रेणी के लिए कट-ऑफ प्रतिशत क्या होगा।

2. आज, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कट-ऑफ अंकों से संबंधित एक चार्ट प्रस्तुत किया। चार्ट को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित और नियुक्त उम्मीदवार ने 55.90% हासिल किया है, जबकि अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत चयनित उम्मीदवार की संख्या तीन है और उन्होंने 64.55%, 59.33% और 58.77% हासिल किया है। इन तीनों अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के खिलाफ इस कारण से समायोजित करने की आवश्यकता थी कि उन्होंने पिछले सामान्य श्रेणी के

चयनित उम्मीदवार के संदर्भ में 55.90% से अधिक प्राप्त किया है, जिन्होंने 55.90% प्राप्त किया है। चयन और नियुक्ति प्राधिकरण ने चयन सूची तैयार करते समय इस हद तक एक गंभीर त्रुटि की है कि शुरू में उन्हें श्रेणी के बावजूद एक योग्यता सूची तैयार करनी चाहिए थी और इसके बाद, सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों और आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त प्रतिशत के आधार पर, उन्हें अलग सामाजिक आरक्षित सूची तैयार करनी चाहिए थी। यदि उपरोक्त अभ्यास चयन और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा किया गया होता, तो उस स्थिति में, तीन व्यक्ति जिन्हें अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत चुना गया है और जिन्होंने सामान्य श्रेणी के तहत अंतिम उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्होंने सामान्य श्रेणी के तहत स्थान अर्जित किया होता। दूसरे शब्दों में, उन्हें सामान्य श्रेणी के तहत स्थान दिया गया होगा। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी का चयन अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत किया गया होगा। यह कवायद चयन और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई है।

3. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में **रामनरेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य** मामले में राज्य ने 2024 में रिपोर्ट किया **एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2058** ने दोहराया कि एस. सी./एस. टी./ओ. बी. सी. उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण होते हैं, वे सामान्य श्रेणी में खुली सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 2023-24 सत्र में "मूल कार्यकाल और ऊर्ध्वाधर आरक्षण को लागू करने में कार्यप्रणाली के गलत अनुप्रयोग" के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। यह कहा जाता है कि मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अपनी योग्यता में उक्त क्षैतिज आरक्षण की 'सामान्य' श्रेणी के हकदार हैं, उन्हें क्षैतिज आरक्षण की उक्त 'सामान्य' श्रेणी से एक सीट आवंटित करनी होगी। मध्य प्रदेश में जी. एस. कोटा 2023 में लागू किया गया था। "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में, एससी/एसटी/ओ. बी. सी./ई. डब्ल्यू. एस. उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ की तुलना में यू. आर. उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ बहुत कम थी। इस प्रकार, उत्तरदाताओं को यू. आर.-जी. एस. श्रेणियों के खिलाफ वर्तमान स्वीकारोक्ति स्वीकार करनी चाहिए थी। यह ध्यान देने योग्य है कि यूआर-जीएस की कई सीटों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

4. चयन और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा की गई उपरोक्त त्रुटि को

सुधारने का यह सही समय है। इसलिए, हमारा विचार है कि योग्यता के संदर्भ में संशोधित चयन सूची तैयार करना और उन आरक्षित श्रेणियों को समायोजित करना जिन्होंने सामान्य श्रेणी के तहत अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उस स्थिति में, इन कारणों से प्रशासनिक अराजकता होगी कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके द्वारा रखे गए पद से बाहर कर दिया गया था। उन्हें समायोजित करने के लिए, चयन और नियुक्ति प्राधिकरणों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनुसूचित जाति श्रेणी में से एक के खिलाफ अपीलार्थी को समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त पद बनाए और वरिष्ठता और अन्य मौद्रिक लाभों सहित सभी परिणामी लाभों का विस्तार करें। इस बिंदु पर, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना को अपना शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या उपरोक्त कवायद की जाएगी या नहीं?

5. इस मामले को दिनांक 17.10.2024 पर फिर से सूचीबद्ध करें।”

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना की ओर से व्यक्तिगत हलफनामा दायर किया गया है। दाखिल किए गए शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 17 से 28 में कहा गया है:

“17. यह विनम्रतापूर्वक कहा गया है कि अपीलकर्ता और श्री भागीरथ प्रसाद दोनों ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष क्रमशः 2019 की एल. पी. ए. संख्या 1246 और 2019 की एल. पी. ए. संख्या 1229 वाले दिनांकित 06.08.2019 के आदेश के खिलाफ इस माननीय न्यायालय के समक्ष अंतर-न्यायालय अपील दायर की है।

18. यह विनम्रतापूर्वक कहा गया है कि 2019 के एल. पी. ए. संख्या 1229 वाले श्री भागीरथ प्रसाद द्वारा दायर अपील को इस माननीय न्यायालय की माननीय खंड पीठ द्वारा दिनांकित 10.08.2023 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है, जिसे इस तथ्य की बेहतर सराहना के लिए रिकॉर्ड पर लाया जा रहा है।

19. यह विनम्रतापूर्वक कहा गया है कि विद्वान न्यायाधिकरण के अपने दिनांक 03.10.2016 के उपर्युक्त आदेश के निर्देशानुसार, संबंधित पंचायत की चयन समिति ने दिनांक 25.02.2018 को अप्रशिक्षित अनुसूचित जाति श्रेणी की एक नई मेरिट सूची तैयार की।

20. यह विनम्रतापूर्वक कहा गया है कि उपरोक्त सूची के केवल अवलोकन से पता चलेगा कि अनुसूचित जाति श्रेणी में, एक संजय कुमार दास ने उच्चतम 64.55% योग्यता अंक प्राप्त किया है और उसके तुरंत बाद एक संतोष कुमार ने दूसरा उच्चतम 62.55% अंक प्राप्त किया है, जबकि अपीलार्थी ने केवल 57.66% अंक प्राप्त किए हैं।

21. यह विनम्रतापूर्वक कहा जाता है कि अनुसूचित जाति श्रेणी में पंचायत शिक्षकों के दो पद थे इसलिए पहले दो यानी संजय कुमार दास और संतोष कुमार का चयन किया गया था।

22. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस माननीय न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने 2019 के एल. पी. ए. संख्या 1229 में पारित आदेश के अनुसार, अन्य चयनित अनुसूचित जाति उम्मीदवार श्री भागीरथ प्रसाद के मामले में उक्त पहलू पर चर्चा की है।

23. यह विनम्रतापूर्वक कहा जाता है कि अब इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2024 के आदेश के तहत पूछे गए प्रश्न और अवलोकन पर आते हुए, जिसमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के अनारक्षित उम्मीदवार की तुलना में उच्च योग्यता अंक होने और उन्हें अनारक्षित श्रेणी के तहत नियुक्त किए जाने के संबंध में कहा गया है, यह विनम्रतापूर्वक कहा जाता है कि संबंधित चयन प्रक्रिया में चयनित सभी अनारक्षित पुरुष श्रेणी के उम्मीदवार प्रशिक्षित शिक्षक थे, जबकि अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत कोई प्रशिक्षित शिक्षक नहीं था।

24. यहां यह दोहराया गया है कि उपरोक्त नियम के नियम 4 (2) में निर्धारित किया गया है कि पहले प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद, यदि रिक्तियां उपलब्ध हैं, तो अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

25. यह विनम्रतापूर्वक कहा गया है कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी की बराबरी नहीं की जा सकती है क्योंकि ये दो अलग-अलग श्रेणियां हैं और एक विशिष्ट प्रावधान है कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों उम्मीदवारों की मेरिट सूची अलग-अलग तैयार की जाती है। अपीलकर्ता निश्चित रूप से अप्रशिक्षित है और सभी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार प्रशिक्षित हैं, इसलिए उसे अप्रशिक्षित होने के कारण

अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

26. यह विनम्रतापूर्वक कहा गया है कि, उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी का यह दावा कि चयनित अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के पास चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक योग्यता अंक हैं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के स्थान पर स्थानांतरित करना गलत धारणा है क्योंकि अपीलार्थी के साथ-साथ चयनित अनुसूचित जाति के उम्मीदवार अप्रशिक्षित हैं जबकि अनारक्षित श्रेणी के तहत सभी चयनित उम्मीदवार प्रशिक्षित हैं।

27. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर खारिज किया जाना उचित है कि उसी विवादित आदेश से उत्पन्न एक अन्य एलपीए को इस माननीय न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है।

28. कि पैराग्राफ संख्या- 3 से 6,8,9,11,12,15 से 17,20 से 26 में दिया गया बयान मेरी जानकारी के अनुसार और पैराग्राफ संख्या- 7,10,13,14,18,19 में दिया गया बयान सही है। मामले के अभिलेखों से प्राप्त मेरी सर्वोत्तम जानकारी सही है और बाकी इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के माध्यम से हैं।”

4. अपीलकर्ता को सुविधा न देने के कारणों से यह न्यायालय संतुष्ट नहीं है, क्योंकि समान स्थिति वाले ऐसे व्यक्ति, जिन्हें अपीलकर्ता से अधिक योग्य बताया गया है, इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हैं।

5. अपीलार्थी वर्ष 2017 से इस मामले की पैरवी कर रहा है जैसा कि 2017 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 1947 से स्पष्ट है। सामाजिक आरक्षण के साथ पठित सामान्य श्रेणी के तहत कटऑफ अंकों के संदर्भ में चयन सूची तैयार करते समय चयन प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट त्रुटि की गई है। सामाजिक आरक्षण के तहत अधिक योग्य व्यक्तियों को सामाजिक आरक्षण श्रेणी/कोटे के खिलाफ समायोजित किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि वे सामान्य श्रेणी के तहत अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक योग्य हैं, जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है। गंभीर त्रुटि करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन

नहीं करने के लिए जिसमें बार-बार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उन सामाजिक आरक्षण उम्मीदवारों में से, यदि उन्होंने सामान्य श्रेणी के तहत अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें अन्य मानदंडों की पूर्ति के अधीन सामान्य श्रेणी शीर्ष के तहत समायोजित किया जाना आवश्यक है। इस सिद्धांत का उल्लंघन चयन प्राधिकरण-आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा किया गया है।

6. वास्तव में, वर्तमान भर्ती में, अनुसूचित जाति के तीन उम्मीदवारों को अंतिम चयनित उम्मीदवार के साथ उनके अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए सामान्य श्रेणी के तहत समायोजित किया जाना चाहिए था। यदि आज की तारीख में अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत कोई रिक्ति नहीं है, तो अपीलकर्ता की किसी भी गलती के बिना, उसे दंडित नहीं किया जाएगा, इसलिए, संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे एक अतिरिक्त पद सृजित करें और अपीलकर्ता को चयन और नियुक्ति करते समय समायोजित करें। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी किसी भी पिछले वेतन का हकदार नहीं है, दूसरी ओर, वह वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि अनुदान और अन्य सेवा लाभों जैसे प्रासंगिक समय पर उन चयनित उम्मीदवारों के समान सभी सेवा और मौद्रिक लाभों का हकदार है। वह संबंधित संवर्ग में वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने का भी हकदार है। यह अभ्यास संबंधित चयन और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ पठित उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में जहां तक सामाजिक आरक्षण व्यक्तियों और सामान्य श्रेणी की चुनिंदा सूची तैयार करने की सिद्धांत की सीमा है, इस हद तक कि सामाजिक आरक्षण की स्थिति में उम्मीदवार ने वर्तमान मामले में तथ्यों के साथ पठित सामान्य श्रेणी के तहत अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे, 2017 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 1947 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश एक तर्कपूर्ण आदेश नहीं है। विद्वान एकल

न्यायाधीश द्वारा मामले के तथ्यों का एक अंश भी नहीं सुनाया गया है। दीवानी मुकदमा दायर करने में दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने का सवाल इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नहीं है कि चयन और नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी हैं और चयन की प्रक्रिया दीवानी पद के लिए है। संविधान का अनुच्छेद 12 और उत्तरदाताओं की स्थिति सी. डब्ल्यू. जे. सी. को बनाए रखने योग्य है। वास्तव में, मामले के संक्षिप्त तथ्य और निर्णय में किस मुद्दे का वर्णन करने की आवश्यकता थी, वे सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यह एल. पी. ए. के रूप में अपील योग्य है।

8. तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश का दिनांक 06.08.2019 का आदेश दरकिनार कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा दायर 2017 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 1947 और 2019 की एल. पी. ए. संख्या 1246 की अनुमति है।

9. लंबित आई. ए., यदि कोई हो, तो निपटाया जा सकता है।

10. इस स्तर पर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता, श्री एस. एस. तिवारी, वर्तमान आदेश को निर्देशित करने के बाद एक बार फिर से मामले पर बहस करने में इस न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी की इस कारण से निंदा की जाती है कि उन्हें मामले को संबोधित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है, दूसरी ओर, वह अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना की ओर से दायर व्यक्तिगत हलफनामे में जो कुछ भी कहा गया है, उसे दोहरा रहे हैं।

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

(माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह)

गौरव एस./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।